

**परिशिष्ट-1**  
**( नियम 8 में अभिदिष्ट)**

**सामान्य शर्तः**

- (1) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित होने वाले साधारण सदस्यों की कुल संख्या उतनी होगी जितने से निबन्धक का निबन्धन प्रस्ताव की उपयुक्ता के बारे में समाधान हो जाये; और निबन्धक की राय में, समिति की सदस्यता तथा करोबार में अभिदेश कार्य-क्षेत्र समुपयुक्त है।
- (2) किसी समिति उपविधियों में इस प्रकार का प्रतिबन्ध होगा कि उसकी प्रबन्धक कमेटी का कोई सदस्य किसी बैठक में किसी ऐसे विषय पर मतदान न करे जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

**2- समितियों के विशिष्ट वर्ग के सम्बन्ध में शर्तें**

**(1) ऋण समितिया-**

(क) यदि किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए पात्र हों तो उपविधियों में सिवाय वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति की दशा में

इस प्रकार का प्रतिबन्ध होगा कि ऐसे परिवार के केवल एक ही सदस्य को ऋण दिया जाये और अन्य शर्तों की व्यवस्था होगी जिनके अधीन रहते हुए ऋण स्वीकृत किये जा सके किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि सहाशभागियों के रूप में किसी परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा धारित हो तो ऐसे सभी सहाशभोगी अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार ऋण के लिए पात्र हो सकते हैं।

(ख) किसी ऐसी समिति की उपविधियों में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा अपने लिये या उन समितियों के लिए जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हों, जैसी भी दशा हो, अनुपात में अत्याधिक ऋण स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध परित्राण का प्राविधान होगा।

(2) ऋण तथा अल्प व्यय समितियाँ -

ऐसी समिति की उपविधियों में, उस समिति के प्रत्येक सदस्य या सदस्यों में अनिवार्यता :

निक्षेप करने की व्यवस्था होगी।

(3) उत्पादन तथा विक्रय समिति-

किसी ऐसी समिति की उपविधियों में एक शर्त होगी कि प्रत्येक साधारण सदस्य, यदि वह स्वयं उत्पादक हो, अपने विक्रय योग्य सम्पूर्ण अतिरेक या उसका कम से कम एक निर्दिष्ट भाग समिति को या उसके माध्यम से बेचेगा और यदि साधारण सदस्य कोई दूसरी समिति हो तो पश्चात्पूर्ति यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका निस्तारण पूर्ववर्ती समिति को या उसके माध्यम से किया जाये, अपने सदस्यों पर इसी प्रकार का दायित्व आरोपित करेगी।

(4) उपभोक्ता समितियाँ -

(क) किसी ऐसी समिति की उपविधियों में सदस्यों पर ऐसा दायित्व आरोपित करने की व्यवस्था होगी कि वे अपनी ऐसी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सदस्यों को उनके असहयोग के लिए बोनस या लाभांश न देकर अथवा समिति के अन्य व्यवहार में निबन्धन लगाए या ऐसी अन्य अनर्हताओं में जिनकी उपविधियों में व्यवस्था की जाये, दण्ड दिया जायेगा।

(ख) उपविधियों में सदस्यों को उधार बेचने का निषेध होगा, सिवाय जहाँ सदस्य वेतनभोगी हों और सदस्यों से धारा 40 के अनुसार उनके वेतन या मजदूरों से कटौती करने के लिए अनुबन्ध निष्पादित कर लिया गया हो अथवा अनुवर्ती उधार विक्रय को पूरा करने के लिए सदस्यों से व्यापार सम्बन्धी धनराशि जमा कर ली गई हो।

(5) आवास समितियाँ -

(क) किसी ऐसी समिति की उपविधियों में प्लॉटों का यथा-सम्भव समान वितरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था होगी और उसमें किसी ऐसे सदस्य को जिसके पास पहले से ही समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर नगर क्षेत्र में भूमि का प्लॉट या मकान हो, भूमि प्रदिष्ट करने या भूमि अथवा मकान बेचने के विरुद्ध व्यवस्था होगी, सिवाय इसके कि जब विशेष परिस्थितियों में, जैसा समिति की उपविधियों में निर्धारित हो, अन्यथा अनुज्ञेय हो।

(ख) उपविधियों में ऐसी शर्तें होगी जिनसे भूमि का संक्रमण या उसकी बिक्री करने अथवा उसे बन्धक रखने या निवास-गृह को व्यापार अथवा कारोबार के लिए दुकान, गोदाम या कर्मशाला में बदलने पर, सिवाय उपविधियों में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुये, समिति की अनुज्ञा से, रूकावट होगी।

(ग) उपविधियों से निम्नलिखित के सम्बन्ध में शर्त होगी-

(1) जिसमें समिति किसी सदस्य द्वारा प्लॉट को जिसे उसने समिति से खरीदा हो फिर से बेचने पर प्राप्त लाभ का निर्दिष्ट प्रतिशत पाने के लिए हकदार है,

(2) जिसमें वह अवधि जिसके भीतर, समिति से या उसके किसी सदस्य से प्लॉट खरीदने के पश्चात् निर्माण कार्य किया जाये और यदि ऐसी अपेक्षा का अनुपालन न किया जायेगा, तो उसका क्या परिणाम होगा।

(6) औद्योगिक समितियाँ -

उद्देश्य वाली समिति की उपविधियों में किसी ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से ही समान दूसरी समिति का भी सदस्य हो, सदस्यता पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था होगी।

(7) कृषि समितियाँ -

किसी कृषि समिति की उपविधियों यह व्यवस्था होगी कि कोई भी उसका तब तक सदस्य न होगा जब तक कि वह -

(क) समिति द्वारा समय-समय पर तैयार की गई योजना और कार्यक्रम के अनुसार समिति की कृषि सम्बन्धी क्रियाओं या अन्य अनुमोदित कार्य-कलापों में भाग लेने के लिये सहमत न हो;

(ख) ऐसी भूमिधारी हो जो समिति द्वारा संयुक्त रूप से खेती और संयुक्त रूप से प्रबन्ध करने के प्रयोजन से अपनी भूमि देने के लिए सहमत हो ; या

(ग) भूमिहीन मजदूर हो और समिति को कृषि सम्बन्धी क्रियाओं या अन्य अनुमोदित कार्य-कलापों में भाग लेने के लिए सहमत हो; या

(घ) ऐसा व्यक्ति हो जो किसी कृषि औद्योगिक व्यवसाय में लगा हो।

